<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>24.11.2025</u>

संपत्तियों की वापसी और पुनर्स्थापन हेतु प्रवर्तन निदेशालय के निरंतर प्रयासों के क्रम में, प्रवर्तन निदेशालय, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेहुल चोकसी एवं अन्य (पीएनबी धोखाधड़ी मामला) मामले में कुर्क की गई संपत्तियां, प्रोजेक्ट तत्व, ऊर्जा-ए विंग, दत्तापाड़ा रोड, बोरीवली (पूर्व), मुंबई में चार (4) फ्लैटों को 21-11-2025 को परिसमापक को सौंपने में सहायता की है, जिससे परिसमापक पीड़ितों, सुरक्षित लेनदारों और अन्य वैध दावेदारों के लाभ के लिए मुद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगा। अब तक, मुंबई, कोलकाता और सूरत में स्थित अचल/चल संपत्तियां, जिनका कुल मूल्य **310 करोड़ रुपये (लगभग)** है, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दी गई हैं।

मेहुल चोकसी के मामले में पीएमएलए के तहत जाँच से पता चला है कि चोकसी ने 2014 से 2017 के दौरान अपने सहयोगियों और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके पीएनबी से धोखाधड़ी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करवाए, जिससे पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। उसने आईसीआईसीआई बैंक से भी ऋण लिया था और उस ऋण को भी चुका नहीं पाया।

जाँच के दौरान, ईडी ने पूरे भारत में 136 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली और मेहुल चोकसी के गीतांजलि समूह से संबंधित 597.75 करोड़ रुपये मूल्य के कीमती सामान/आभूषण ज़ब्त किए। इसके अलावा, मेहुल चोकसी/गीतांजलि समूह की 1968.15 करोड़ रुपये मूल्य की अचल/चल संपत्ति ज़ब्त की गई, जिसमें भारत और विदेशों में अचल संपत्तियाँ, वाहन, बैंक खाते, फ़ैक्टरी, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, आभूषण आदि शामिल थे। कुल मिलाकर, इस मामले में 2565.90 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क या ज़ब्त की गई और तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं।

पीड़ित बैंकों को संपत्ति वापस करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए, प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों के साथ मिलकर संपत्तियों के मुद्रीकरण की दिशा में सक्रिय कदम उठाए। प्रवर्तन निदेशालय और बैंकों ने एक साझा रुख़ अपनाने पर सहमति जताई और एक संयुक्त आवेदन (सहमति आवेदन) दायर करने के लिए माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, मुंबई का रुख़ किया। माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय, गीतांजलि समूह की विभिन्न कंपनियों के बैंकों और परिसमापकों को कुर्क या ज़ब्त की गई संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी करने में मदद करेगा और उक्त संपत्तियों की नीलामी के बाद, बिक्री से प्राप्त राशि पीएनबी/आईसीआईसीआई बैंक में एफडी के रूप में जमा की जाएगी।

इसके अलावा, शेष परिसंपत्तियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के आदेश के अनुसार परिसमापक/बैंकों को सौंप दिया जा रहा है।